न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 04 / 2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021 / 00004

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री ईश्वरलाल लखानी पुत्र श्री कल्लुमल लखानी जाति सिंधी विक्रेता मैसर्स के.बी मार्ट, पुराना बस स्टेण्ड के पास, बॉसवाडा।
2. श्रीमती माधुरी पत्नी श्री ईश्वरलाल लखानी जाति सिंधी, मालिक मैसर्स के.बी मार्ट, पुराना बस स्टेण्ड के पास, बॉसवाडा।

उपस्थित :–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी

श्री राजेन्द्र शुक्ला अधिवक्ता

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 24.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के द्वारा दिनांक 13.01.2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 27–10–2020 को अप. 01.30 बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉंच हेतु **मैसर्स के.बी मार्ट, पुराना बस स्टेण्ड के पास, बॉसवाडा** पर पहुचा, निरीक्षण करने पर पाया कि उपरोक्त विक्रेता की दुकान पर **श्री ईश्वरलाल लखानी पुत्र श्री कल्लुमल लखानी** उपस्थित थे, विक्रेता को खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति /रजिस्ट्रेशन वर्ष 2020 का दिखाने को कहा, जिस पर विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्ति /रजिस्ट्रेशन पत्र प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की दुकान पर **काजु बोल्ड (के.बी. माट)** 250 ग्राम के 15 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को बिक्री हेतु पाये गये। इसमें मिसब्राण्ड, सबस्टैण्डर्ड एवं अनसेफ का शक होने पर **काजु बोल्ड (के.बी. माट)** 250 ग्राम वाले 4 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति मे खरीदे तथा इन[illegible] 1200 रु. विक्रेता को नकद चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता [illegible] करवाये एवं तस्दीक की। आस पास के लोगों द्वारा गवाही देने से इनकार करने पर साथ [illegible] कर्मचारियों से गवाही [illegible] हस्ताक्षर करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.26 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested

नमूना जांच हेतु क्रय किये गए **काजु बोल्ड (के.बी. माट)** 250 ग्राम वाले 4 पैकेट पर फार्म नं. 5ए पर वर्णित सभी जानकारी अंकित पाई गई। खरीदशुदा **काजु बोल्ड (के.बी. माट)** 250 ग्राम वाले 4 पैकेट को प्लास्टिक के 4 साफ सुखे एवं खाली जारो में बराबर बराबर भरकर (प्रत्येक जार में 250 ग्राम का एक पैकेट रखकर) । प्रत्येक जार का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। चारो नमूना जारो पर विभाग के कोड व सिरीयल नं.W–639 जिस पर विवरण आदि अंकित कर विक्रेता एवं गवाहान से हस्ताक्षर करा स्वयं ने चिपकाया। प्रत्येक नमूना जारो पर अभिहित खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप W – 639 प्रत्येंक नमूना जारो के पेंदे से शीर्ष तक गोलाई में गौंद से चिपकाकर मोटे व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील बन्द किया। प्रत्येक सीलबन्द नमूना जारो पर सम्पूर्ण विवरण अंकित कर हस्ताक्षर किये गये एवं नमुना जारों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने जाप्ते में लिया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म 5–ए की प्रतियां व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढा कर, सुना कर एवं समझा स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर करवाए गए। उक्त चार भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बॉसवाडा को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या PH Lab / Act / 2020 / 183 दिनांक 01–11–2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **काजु बोल्ड (के.बी. माट)** CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(2).(3).(8).(9).(10) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। जिस पर अभियुक्त सं.1 व 2 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 [illegible] 2(?) व 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 14–0[illegible] [illegible] किया जाकर आरोपीयों को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगणो की ओर से दिनांक [illegible].2021 को अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शुक्ला का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.26 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 10.02.2021 को अप्रार्थीगणो की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया कि फर्म द्वारा नियमानुसार ब्राण्डेड व सही माल का विक्रय विगत कई वर्षो से होता आ रहा है। उक्त अपराध हमारे द्वारा नही किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्णरुपेण एकतरफा होकर कोरोना काल में की गई है। यदि किसी प्रकार से आरोपी/अभियुक्त माना जाता है तो हम पति पत्नी होकर एक युनिट है। हम उक्त फर्म की ओर से कम से कम जुर्माना अदा करने तैयार है।

दिनांक 17.02.2021 को उभयपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि अप्रार्थीगण पति पत्नि है अतः इनको एक युनिट माना जावे तथा कम से कम जुर्माना लगाया जावे।

राजकीय पैरोकार खाघ सुरक्षा अधिकारी की ओर से कथन किया गया कि प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही नियमानुसार की गई है तथा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या PH Lab/Act/2020/ 183 दिनांक 01-11-2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **काजु बोल्ड (के.बी. मार्ट)** CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(2).(3).(8).(9).(10) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। जिस पर अभियुक्त सं.1 व 2 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) व 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या PH Lab/Act/2020/ 183 दिनांक 01-11-2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **काजु बोल्ड (के.बी. मार्ट)** CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(2).(3).(8).(9).(10) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.26 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested

अतः जांच हेतु क्रय किया गया **काजु बोल्ड (के.बी. मार्ट)** CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(2),(3),(8),(9),(10) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZI)(A)(i)(a) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। जिस पर अभियुक्त सं.1 व 2 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ग) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 का उल्लंघन होने पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत् आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री ईश्वरलाल लखानी पुत्र श्री कल्लुमल लखानी जाति सिंधी विक्रेता मैसर्स के.बी मार्ट, पुराना बस स्टेण्ड के पास, बॉसवाडा** को **15000/–**, **श्रीमती माधुरी पत्नी श्री ईश्वरलाल लखानी जाति सिंधी, मालिक मैसर्स के.बी मार्ट, पुराना बस स्टेण्ड के पास, बॉसवाडा** को **15000/–** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.02.26 16:45:55 IST
Reason: SelfAttested